



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 1990/माघ 16, 1911

No. 63] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 1990/MAGHA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1990

का.आ. 119(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण  
में एतद्वारा वह निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन और अगले आदेशों तक अंडमान  
और निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ  
312 GI/90 (1) अनुच्छेद 239 के अनुसार विवरण

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]

शासित क्षेत्रों के प्रशासक (भले ही वे प्रशासक या उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हों) महा प्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45) के अधीन अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग तथा कृत्यों का भी निर्वाह करेंगे।

[संख्या—यू.—11030/3/89—यू.टी.एल.]

श्रीशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 1990

S.O. 119 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Administrators of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry (whether known as Administrator or the Lieutenant Governor) shall also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Administrators-General Act, 1963 (45 of 1963) within their respective Union territories.

[No. U-11030/3/89-UTL]  
ASHOK NATH, Jt. Secy.